188



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर
प्रकरण कमांक 187/2005–06 अपील

A. 584-I/09

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा उपपंजीयक, रतलाम

————अपीलान्ट

विरूद्ध

1–माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन
2–न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, रतलाम
3–कृष्णवल्लभ पिता श्री कन्हैयालाल जी पोराणिक
निवासी – 4, चिड़ीयाघर रोड़, इंदौर
4–श्रीमती कान्ताबाई पति श्री माणकचंद जी तलेरा
5–अजय कुमार पिता श्री माणकचंद जी तलेरा
निवासीयान 13, गौशाला रोड़, रतलाम

28
19/5/09

अपील अन्तर्गत धारा 47:क:–5 मुद्रांक विधान

माननीय महोदय,

अपीलान्ट अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपरआयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 187/05–06 अपील में पारीत आदेश दिनांक 12.5.2008 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह अपील अंदर अवधि निम्न कारणो से प्रस्तुत करता है।

1:अ: अपीलान्ट का पुरा नाम व्यवसाय तथा पता।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक रतलाम, मध्यप्रदेश

:ब: दस्तावेज के निष्पादक करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम एवं पता– कृष्णवल्लभ पिता श्री कन्हैयालाल जी पोराणिक
निवासी – 4, चिड़ीयाघर रोड़, इंदौर

:स: दावेदार का पुरा नाम पिता का नाम एवं पता –
:1: श्रीमती कान्ताबाई पति श्री माणकचंद जी तलेरा
:2: अजय कुमार पिता श्री माणकचंद जी तलेरा
निवासीयान 13, गौशाला रोड़, रतलाम

:द: दिनांक एवं दस्तावेज का स्वरूप –
5.7.2003 बयनामा 4,50,000/– अंके चार लाख पचास हजार।

:इ: पंजीयन संबंधी पंजीयन का दिनांक एवं कार्यालय जहॉ दस्तावेज पंजीकृत हुआ– अपंजीकृत

निरन्तर——2

:फ: दस्तावेज एवं पंजीयन उप जिला सहित ग्राम व कस्बे का नाम जहां संपत्ति स्थित है – नजर बाग, मोहल्ला रतलाम स्थित भूखण्ड कमांक 20 पर बना मकान म्यु. नंबर 20,

:ज: अपर आयुक्त के आदेश का कमांक व दिनांक जिसके विरूद्ध अपील की गई है– प्रकरण कमांक 187/05–06 आदेश दिनांक 12.5.008 ।

:ह: संपत्ति का बाजार मुल्य जैसा की विलेख में अंकित किया गया है – बाजार मुल्य 4,50,000/– अंके चार लाख पचास हजार।

:आई: बाजार मुल्य जैसा कि अपर कमीश्नर द्वारा निर्धारित किया गया है – 4,50,000/– अंके चार लाख पचास हजार

1– अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेष दिनांक **12.5.2008 की छायाप्रति संलग्न 'क' कमांक 'अ' पर**

**अपील के आधार**

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश विधि एवं विधान एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना विधि अनुसार नहीं करने में त्रुटि की है।

3– यह कि कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प ने विवादित संपत्ति का मुल्य ठोस आधार पर अवधारित किया गया है। जो मध्यप्रदेश लिखतो को न्युन मुल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियम :4: एवं :5: में किये गये नियमो के अनुकुल है।

4– यह कि कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प ने कम्पेरेबल सेल मेथर्ड का उपयोग कर बाजार मुल्य अवधारित किया है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1974 सुप्रीम कोर्ट 1160 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुकुल है और उसे अपीलीय न्यायालय ने विचार नहीं करने में गंभीर वैघानिक त्रुटि की है।

5– यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय बिना एप्लीकेशन ऑफ पाइंट के है।

6– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं करने में त्रुटि की है कि रतलाम में जहा संपत्ति स्थित है वह नगर निगम के प्रस्तावित क्षेत्र में होकर इसमें निर्धारित निर्देशिका अनुसार स्क्वेयर फीट के मान से बाजार मुल्य निर्धारित किया जाना है। अतः वह काफी मुल्यवान है।

7– यह कि कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प का आदेश विधि अनुसार पारित हुआ है किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अवैधानिक मानकर निरस्त करने में गंभीर वैघानिक त्रुटि की है।

8– यह कि कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प की संपत्ति का बाजार मुल्य आधारित करने के लिये औसत विवरणी जो एक्सपर्ट द्वारा तैयार की जाती है, का सहारा लेकर मुल्य अवधारित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे नहीं मानने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की हैं।

निरन्तर——3

188

171

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील/584/एक/2009

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि ,के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-8-19 | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 08/03/2011 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br><br>(महेश चन्द्र चौधरी)<br>सदस्य | |